परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 29 मार्च 2016 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : सोलर पार्क पारेषण सेक्टर परियोजना

परियोजना का नाम	सोलर पार्क पारेषण सेक्टर परियोजना
परियोजना संख्या	49214-002
देश	भारत
परियोजना स्थिति	प्रस्तावित
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत/ राशि	**ऋण : सोलर पार्क विकास और पारेषण सेक्टर परियोजना** साधारण पूंजी संसाधन — अमेरिकी डॉलर 400.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**ऊर्जा** – विद्युत पारेषण और वितरण
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व
विवरण	सोलर पार्क विकास तथा पारेषण सेक्टर परियोजना (परियोजना) के तहत बहुलक सोलर पार्क्स के विकास हेतु आंशिक निधीयन किया जाएगा, जिसमें (क) पार्क–के–भीतर साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसेकि विशिष्ट परियोजनाओं को एक साझा पूलिंग प्वाइंट के साथ जोड़ने के लिए पारेषण लाइन्स, भू समतलीकरण, जल व्यवस्था और बाड़; तथा (ख) सोलर पार्क्स से राष्ट्रीय ग्रिड को निकासी पारेषण सम्मिलित है। इस परियोजना के तहत सहायता दी जाने हेतु प्रस्तावित सोलर पार्क्स में राजस्थान में भाडला III (पारेषण) तथा जैसलमेर फेज़–I और II तथा उत्तर प्रदेश में जालुम

(पारेषण और सोलर पार्क विकास) तथा सोनभद्रा/इलाहाबाद/मिर्ज़ापुर (सोलर पार्क विकास) शामिल हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), भारत सरकार (जीओआई) सौर शक्ति विकास हेतु केन्द्र स्तर नोडल अभिकरण, पार्क के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु संबंधित राज्य अभिकरणों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों का गठन करेंगे। जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), भारत की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, पार्क्स से राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत निकासी हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। निजी परियोजना विकासकर्ता शुल्क और आवर्ती पट्टा भुगतानों पर पार्क के भीतर भूखंड प्राप्त कर सकेंगे।

यह परियोजना सौर ऊर्जा के उपयोग तथा भारत की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की गहनता घटाने द्वारा भारत की ऊर्जा सुरक्षा वृद्धि के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। परियोजना के परिणामस्वरूप भारत की शक्ति जनन मिश्रण में सौर ऊर्जा के योगदान में वृद्धि होगी। यह निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किया जाएगाः (i) उत्तर प्रदेश में विकसित सोलर पार्क्स तथा (ii) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रिड के साथ संयोजित सोलर पार्क्स।

परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में भारत द्वारा कुल ऊर्जा तथा अधिकतम विद्युत घाटा क्रमानुसार 2.1 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत महसूस किया गया। इन आंकड़ों में 300 मिलियन से अधिक वे लोग शामिल नहीं हैं, जो ग्रिड विद्युत पहुंच से बाहर रहते हैं। सन् 2012 में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की दृष्टि से भारत का विश्व में 105वां स्थान था; उद्योगीकरण, प्रक्षेपित जनसंख्या वृद्धि, ग्रिड पहुंच वृद्धि और सम्पदा वृद्धि के चलते अपेक्षित विद्युत जनन क्षमता जुलाई, 2015 में इसके वर्तमान जनन 276 गीगावाट (जीडब्ल्यू) के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2031–2032 तक दोगुनी से अधिक प्रक्षेपित की गई है।

भारत की विद्युत प्रणाली में जीवाश्म ईंधनों से तापीय जनन का वर्चस्व है, जो घरेलू ईंधन की कमी और आयातित तेल के ऊंचे मूल्यों से संकटग्रस्त है। भारत सरकार ने भावी जनन बेड़े के लिए योजना में ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है तथा 4 गीगावाट की वर्तमान संस्थापित क्षमता में भारी वृद्धि के साथ 2022 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता संस्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपयुक्त भूमि तथा आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाला समय और व्यय भारत में सौर विस्तार हेतु प्रमुख अवरोध चिन्हित किया गया है। गुजरात और राजस्थान राज्यों ने इन अवरोधों को दूर करने के लिए सोलर पार्क्स का विकास किया है, जहां विकासकर्ता परियोजना के लिए तैयार की गई भूमि पट्टे पर ले सकते हैं। भारत सरकार ने सोलर पार्क्स में परियोजनाओं से 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इन परियोजनाओं से कमतर शुल्क दरों का पूर्वानुमान लगाया है क्योंकि मितव्ययिता के साथ विकसित एक प्लॉट में अनेक परियोजनाएं होंगी तथा सम्पूर्ण पारेषण नेटवर्क में निकासी लागत में समता लाई जा रही है। भारत सरकार विकासकर्ताओं की लागत घटाने तथा संबंधित सौर विद्युत लागतें कम करने के उद्देश्य से सोलर पार्क्स के विकास हेतु पूंजीगत सहायता भी प्रदान कर रही है। पर्याप्त क्षमतासम्पन्न राज्य, राज्य उपयोगिताओं के माध्यम से पार्क्स विकसित कर रहे हैं; अन्य राज्य एसईसीआई अथवा निजी सेक्टर के साथ मिलकर पार्क विकास के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहे हैं तथा पीजीसीआईएल से निकासी लाइन्स के निर्माण हेतु अनुरोध कर रहे हैं। भारत की सौर महत्वाकांक्षाएं और उन्हें हासिल करने में इस परियोजना की भूमिका, भारतीय ग्रिड और सौर ऊर्जा हेतु विश्व बाजार की कायापलट कर सकती है, जिसमें हाल में जबर्दस्त मूल्य गिरावट दर्ज की गई है।

परियोजना भारत देश भागीदारी रणनीति 2013–2017 के अनुरूप है, जो नवीनेय ऊर्जा विकास, विशेषकर सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देती है। परियोजना रणनीति 2020 की मध्यावधि समीक्षा के भी अनुरूप है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) स्थानीय वायु प्रदूषण घटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उपशमन हेतु नवीनेय ऊर्जा में निवेश जारी रखेगा।

प्रभाव	यह परियोजना, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा और भारत की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता कम करने के लिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा वृद्धि के लिए, भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है।
परिणाम	भारत की विद्युत मिश्र हेतु सौर ऊर्जा के योगदान में वृद्धि
आउटपुट्स	उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क्स का विकास राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में सोलर पार्क्स का ग्रिड के साथ संयोजन
भौगोलिक अवस्थिति	

सुरक्षोपाय संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	क
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं का संक्षिप्त विवरण

पर्यावरण पहलू	पर्यावरण प्रभावों के लिए आरंभिक श्रेणीकरण ख है।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	अस्वैच्छिक पुनर्वास हेतु क
स्वदेशी लोग	स्वदेशी लोगों हेतु ग, जबकि राज्य सरकारों ने उपयुक्त भूमि की पहचान में वर्तमान उपयोग का ध्यान रखा है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	भारत सरकार द्वारा 2015 में अंतर–मंत्रालय परामर्श के पश्चात एशियाई विकास बैंक को सम्यक् सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी के साथ परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	पणधारकों के साथ परामर्श एक सतत् प्रक्रिया है तथा इसको सम्यक् सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

व्यवसाय अवसर

परामर्शी सेवाएं	यह ज्ञात नहीं है कि क्या इस ऋण के तहत कोई परियोजना कार्यान्वयन परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा। यदि ऐसा है, गुणवत्ता– और लागत–आधारित चयन (क्यूसीबीएस) का प्रयोग किया जाएगा जिसमें गुणवत्ता–लागत अनुपात 90:10 होगा। परामर्शदाताओं की नियुक्ति परामर्शदाताओं के उपयोग हेतु दिशानिर्देशों (अप्रैल, 2013, समय–समय पर संशोधित) के अनुसार की जाएगी।

अधिप्राप्ति	पीजीसीआईएल अंतरराज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए निष्पादन अभिकरण होगी। एसईसीआई सोलर पार्क विकास के लिए निष्पादन अभिकरण होगी तथा विशिष्ट संयुक्त उद्यम इन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अभिकरण होंगे। पीजीसीआईएल में परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) है, एसईसीआई में एक पीएमयू स्थापित की जाएगी तथा संयुक्त उद्यम के भीतर एक परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू) स्थापित की जाएगी। ये पीएमयू'ज तथा पीआईयू'ज सोलर पार्क्स की विशिष्ट गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने और एशियाई विकास बैंक की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एडीबी ऋण के तहत अपनी संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी। एडीबी ऋण द्वारा वित्तपोषित सामग्री, उपस्कर तथा सिविल कार्यों का प्रापण एडीबी प्रापण दिशानिर्देश (2015, समय–समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार किया जाएगा। जैसा कि एसईसीआई और पीजीसीआईएल द्वारा अनुरोध किया गया है, अग्रिम संविदा और पूर्वप्रभावी वित्तपोषण का उपयोग किया जाएगा, जो 20 प्रतिशत की सीलिंग तथा संबंधित ऋण अनुबंध की तिथि से अधिकतम 12 माह पूर्व की समय सीमा शर्त के तहत होगा।

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	शैन्नोन कॉवलिन
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** सौदामिनी प्लॉट सं. 2, सेक्टर–29 गुड़गांव–122001, हरियाणा, भारत **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया** चतुर्थ तल, टावर–1, एनबीसीसी प्लाज़ा, पुष्प विहार, सेक्टर–5, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	23 अक्टूबर 2015
तथ्य अन्वेषण	30 मई 2016 से 30 मई 2016 तक
एमआरएम	27 जुलाई 2016
अनुमोदन	27 सितम्बर 2016
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	17 मार्च 2016

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशिया विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।